

09¹²/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं
उपस्थित। वादी द्वारा वाद विद्रोह
प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन
किया कि वह स्वयं वादी की
कार्यवाही आगे चलाना नहीं चाहते
हैं अतः वाद आज ही विद्रोह
करने की अनुमति दी जाए। अतः
वादी स्वयं की अभिस्वीकृति के
आधार पर वाद जरिए विद्रोह
स्वारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

लक्ष्मी एन.



3
सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली